न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 29/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी		प्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति पालीवाल निवासी नाकोड़ा रोड़ बस स्टेण्ड जसोल

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मूलाराम प्रजापत अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 30.05.2016

1- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.6.2014 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा सरकारी वाहन से मैसर्स बाबा धोरीनाथ दूध डेयरी जसोल पहुॅचने पर दुकान पर एक व्यक्ति बैठा मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति पालीवाल निवासी नाकोड़ा रोड़ बस स्टेण्ड जसोल (एफबीओ) बताया। दुकान में फ्रीज के एक खण्ड में विक्रेता के बताये अनुसार दूध (गाय का) करीबन 100 लीटर आम जनता को बेचने हेतु रखा था। दूध में मिलावट का संदेह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शीशीयों मे बराबर मात्रा में भरा जिसका भुगतान 50/—अप्रार्थी प्रकाश को किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40—40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये एंव पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 353 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए,प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कागज में लपेट कर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाह ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाह एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही रूबरू गवाहो के की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–353 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, अंकित कर तैयार किया गया एंव एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ दूध(गाय का) नमूना पी–353 की जॉच रिपोर्ट एलएस/403/एक्ट/2014/412 दिनांक 19.7.2014 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को भेजी जिस पर जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard as it Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ दूध (गाय का) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 353 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन एवं फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2- परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मूलाराम प्रजापत हाजिर आये। जिन्होंने

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जवाब पेश कर प्रकरण में प्रथम अपराध होने एवं लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया।

3- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है गश्त चैकिंग के दौरान दिनांक 19.6.2014 को प्रार्थी ने दुध (गाय का) करीबन 100 लीटर आम जनता को बेचने इकट्टा कर रखा था। उक्त दूध में मिलावट होने के संदेह पर उक्त दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान दूध (गाय) पी–353 नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4- अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी गांवो से दूध मंगवाकर आगे बेचता है, अप्रार्थी का उक्त प्रकरण में पहला अपराध है एवं अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता है। इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध परिवाद समाप्त किया जाए।

5- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/एक्ट/403/एक्ट/2014/412 दिनांक 19.7.2014 के अनुसार दूध सेंपल की नमूना जॉच रिपोर्ट में विकय किया जा रहा दूध (गाय का) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

6- अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी प्रकाश द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) का दूध रखने एंव बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अभियुक्त प्रकाश पर 5,000/– अक्षरे रूपये पॉच हजार मात्र शास्ति आरोपित

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 30.05.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर